निदेशालय, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
दशम तल, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

पत्र संख्या– C-4122 / दि0ज0 / ममता–मेरठ / निर्माण / 2021–22 दिनांक: 17 दिसम्बर, 2021

आदेश

शासनादेश संख्या–96 / 2021 / I / 116608 / 2021 / File No.65–2 / 492 / 2020–2 दिनांक: 25.11.2021 (चतुर्थ किस्त) द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 में निर्माणाधीन नवीन **"ममता" राजकीय मानसिक मंदित विद्यालय (बालक) जनपद–मेरठ** के निर्माण कार्य हेतु **रू0 250.00 लाख (रू0 दो करोड़ पचास लाख मात्र)** का आवंटन जारी किया गया है।

उप निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, मेरठ मण्डल, मेरठ के पत्रांक: सी–407 दिनांक: 27.09.2021 के अनुरोध के क्रम में निर्माणाधीन नवीन **"ममता" राजकीय मानसिक मंदित विद्यालय (बालक) जनपद–मेरठ** के निर्माण कार्य हेतु रू0 250.00 लाख (रू0 दो करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि एतद्द्वारा अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उपरोक्त व्यय रू0 250.00 लाख (रू0 दो करोड पचास लाख मात्र) को वित्तीय वर्ष 2021–22 के आय व्ययक के अनुदान संख्या–79 के लेखाशीर्षक–4235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय–02–समाज कल्याण–101–विकलांग व्यक्तियों का कल्याण –15–मानसिक मंदित बालक / बालिकाओं के लिये "ममता" विद्यालय–24–वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

जनपद– मेरठ में निर्माणाधीन नवीन "ममता" राजकीय मानसिक मंदित विद्यालय (बालक) के निर्माण कार्य हेतु रू0 250.00 लाख (रू0 दो करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि कार्यदायी संस्था यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 लखनऊ, को निम्न शर्तो के साथ अवमुक्त की जाती है :–

1–प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि राज्य बजट से स्वीकृत की जा रही है। धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार व नियमानुसार किये जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित मण्डल के उपनिदेशक दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था का होगा। स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय में वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय–समय पर निर्गत शासनादेशों / आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2–योजना हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि को पी0एल0ए0 / बैंक खाते इत्यादि में नहीं रखा जायेगा।

3–धनराशि की स्वीकृति / आहरण एवं अन्य कार्यवाहियां वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–सं0–3 / 2021 / बी–1–375 / दस– 2021–231 / 2020, दिनांक:–22.03.2021 में दी गई शर्तो एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4–प्रायोजनान्तर्गत सम्मिलित जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

5– प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराये जाने तथा कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टयों का समस्त दायित्व संबंधित मण्डल के उपनिदेशक दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था का होगा।

6–यह सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित मण्डल के उपनिदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था का होगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में शामिल नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना / स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

7– कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा तथा आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जाएगा ।

8– प्रायोजना लागत में टाइम ओवर रन / कास्ट ओवर रन न हो। इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर–212 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित मण्डल के उपनिदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था का होगा।

9– यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किये जाने का समस्त दायित्व संबंधित मण्डल के उपनिदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था का होगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो। कार्य की गुणवत्ता नियमित रूप से परीक्षित कर गुणवत्ता प्रमाण–पत्र एवं कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की पाक्षिक रिपोर्ट प्रतिहस्ताक्षरित कराकर शासन को उपलब्ध कराने का समस्त दायित्व संबंधित मण्डल के उपनिदेशक दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,उ0प्र0 के माध्यम से निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, का होगा।

10–प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य / मद के लिये की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य / मद हेतु किये जाने जाने का समस्त दायित्व संबंधित मण्डल के उपनिदेशक दिव्यांगजन सशक्तकरण विभाग,उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था का होगा। साथ ही यह भी

सुनिश्चित किया जाये कि स्वीकृति के संबंध में किये जाने वाले आहरण एवं व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रविधानों एवं शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप हों।

11-निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना संबंधित मण्डल के उपनिदेशक दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

12-व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराने का पूर्ण दायित्व संबंधित मण्डल के उपनिदेशक के माध्यम से निदेशक दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था का होगा।

13-कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया जाता है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

14-**वित्त विभाग के शासनादेशों एवं इस** शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं निदेशालय में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी/वित्तीय सलाहकार एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

15-शासनादेश संख्या-53/2021/1/60856/2020/File No.65-2/492/2020-2 दिनांक 26.03.2021 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

16-शासनादेश संख्या-यू0ओ0-36/65-2-2011 दिनांक:-28 जुलाई, 2011 के क्रम में भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम-1996 तथा इसके अधीन बनायी गयी नियमावली-2009 की व्यवस्था के अनुसार सभी निर्माण कार्यों/परियोजनाओं जिनकी लागत रू0 10.00 लाख से अधिक है उन कार्यों के निमित्त 01 प्रतिशत सेस की कटौती करके कर्मकार कल्याण बोर्ड में जमा कराया जाना है के क्रम में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या: 127/2019/2811/65-2-2019-37(बजट)/2018 टी.सी. दिनांक: 21.11.2019 के द्वारा स्वीकृत आगणन रू0 799.27 लाख + जी0एस0टी0 में लेबर सेस मद में रू0 6.97 लाख की व्यवस्था है। पूर्व में संस्था को रू0 500.00 लाख की धनराशि 1 प्रतिशत लेबर सेस की कटौती के उपरान्त अवमुक्त की गई है। इस प्रकार लेबर सेस मद में रू0 1.97 लाख की कटौती करके कर्मकार कल्याण बोर्ड में जमा कराया जाना है। यदि इसके अतिरिक्त कोई लेबर सेस देय है तो कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार लेबर सेस का भुगतान किया जायेगा।

17-भुगतान की जा रही धनराशि पर आयकर 2.00 प्रतिशत की नियमानुसार कटौती की जाये।

(सत्य प्रकाश पटेल)
निदेशक।

पृष्ठांकन **संख्या व दिनांक:-** उपर्युक्तानुसार

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-अपर मुख्य सचिव,उत्तर प्रदेश शासन,दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ।
2-मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ ।
3-महालेखाकार-प्रथम (निर्माण) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4-मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन/कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
5-प्रबन्धन निदेशक, यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 गोमती नगर, लखनऊ।
6-जिलाधिकारी, मेरठ ।
7-मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, दिव्यांग जन सशक्तीकरण विभाग (मुख्यालय)।
8-आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
9-उप निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, मेरठ मण्डल मेरठ ।
10-जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, मेरठ ।
11-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1/राज्य योजना आयोग-1।
12- श्री राहुल अग्रवाल, वरिष्ठ सहायक, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत शासनादेश एवं आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
13- प्रभारी अधिकारी, डाटा सेल, मुख्यालय।

(डा0 ए0के0 वर्मा)
संयुक्त निदेशक,
कृते निदेशक।